नरतलाल बनाम हरिराम
वादपत्र – 2022/62

21/12/23 पत्रावली पेश हुई। वकील वादपक्ष उप०।
वकील वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में
नकल जमाबंदी संवत 2076-2079 ग्राम बिलोनिया
जमाबंदी को प्रदर्शित करवाया है। और साक्ष्य पेश न
करते हुए साक्ष्य बंद किये जाने का निवेदन किया।
वकील वादी पर वकील इकतरफा पक्ष की बहस
की सुनवाई गई। मैंने बहस विचार करलिया
वादी ने अपने वादपत्र में तथ्यों को अंकित करते
हुए यह पेश किये कि ग्राम बिलोनिया
तहसील [illegible] की
खसरा नम्बर 692 रकबा 2 बीघा 14
बिस्वा कृषि भूमि वादी की खातेदारी व्
कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। जिस पर
वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ
रहा है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी
से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है फिर
भी प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर जबरन
कब्जा करने पर आमदा जिसका उन्हें
हक, अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण प्रभाव-
शाली लोग है जो जबरन वादी की
खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि में
कब्जा कर इसमें जबरन खेती करने
पर आमादा है। वादी के काफी अनुरोध
करने पर प्रतिवादीगण नहीं माने तब जाकर
वादी द्वारा यह वादपत्र पेश किया है।
वकील वादी [illegible] प्रतिवादी
वादी को [illegible]
वादग्रस्त आराजी से [illegible] है
करने व वादी को बेदखल कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.12 14:57:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परसलाल बनाम रतीराम वादपत्र - 2022/62	

वादी की कृषि भूमि पर रास्ता आड़ने की धमकी देते है। वादी के हक-हकूकों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाना आवश्यक है अन्यथा प्रतिवादीगण वादी को जबरन आराजी से बेदखल करने पर कामयाब हो जावेंगे जो वादी के साथ अन्याय होगा। वादी वादग्रस्त आराजी का अभिलिखित खातेदार है। इस हेतु वादी ने जमाबंदी संवत 2075-2078 ग्राम बिलौना कलां की [illegible] करवाया है। इस प्रकार वकील वादी द्वारा वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी वादग्रस्त वाके ग्राम बिलौना कलां में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का जबरन कब्जा, निर्माण आदि न करने व न कराने बाबत प्रतिबंधित किये जाने का निवेदन किया है। वादी ने लिखा है कि [illegible] कि वादी अभिलिखित खातेदार है एवं रिकॉर्डेड खातेदार को इस तरह से बेदखल करने वाले लोगों को पाबन्द करवाने का अधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.12 14:57:51 IST
Reason: SelfAttested

चरतलाल बनाम रतीराम
वाद– 2022/62

हमने वकील वादी की बहस पर गौर फरमाया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने वकील वादी के बहस का खण्डन करते हुए वादी एवम् प्रतिवादीगण के मध्य कोई विवाद न होने के कथन किये तथा वाद का वादपत्र कॉज ऑफ एक्शन के अभाव में खारीज किये जाने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक उभय पक्षो की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया। प्रदर्श संख्या-01 जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के अवलोकन से वादीगण आराजी वादग्रस्त के अभिलिखित खातेदार सिद्ध है। हम विद्वान अधिवक्ता वादी के इस कथन से सहमत है कि Recorded खातेदार को उसकी खातेदारी व कब्जे की त्रुटि से बेदखल नही किया जावे। वादी वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार है। प्रतिवादीगण की ओर से वादग्रस्त [illegible] करने का अपने हक में [illegible] नही किया [illegible] वादपत्र के अभिकथनों का खण्डन नही हुआ है। ऐसी सूरत में वादी के वादपत्र के विरुद्ध कोई कारण प्रतीत नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.12 14:57:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट (दौसा)

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम (नियम 26) फार्म 111

तारीख हुक्म	चिरंजीलाल बनाम रामप्रसाद हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज वाद पत्र - 2022/62	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	वादी वादग्रस्त सम्पत्ति का खातेदार व स्वामी है ऐसी स्थिति में सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए वाद पेश करने का अधिकारी है। पत्रावली के अवलोकन से वादी का वादग्रस्त का खातेदार सिद्ध होता है। मेरी राय में स्थायी निषेधाज्ञा एक न्यायिक तथा विवेकाधिकार प्रावधान है। जिसका प्रमुख उद्देश्य प्रतिवादी के हस्तक्षेप या धमकी के बिना मौजूदा स्थिति में विषय-वस्तु की रक्षा करना है। यह प्राकृतिक न्याय और समानता के सिद्धान्तों का पालन करता है। प्रस्तुत प्रकरण में वादी के वादग्रस्त आराजी के खातेदार होने व काबिज होने के तथ्य पर प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त वादी के पक्ष को मजबूती प्रदान करता है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादियों को पाबन्द किया जाना न्याय-संगत है। क्योंकि प्रतिवादी ने [illegible] कोई साक्ष्य/[illegible] पेश किया है जिससे वादी के कथनों का खण्डन किया जा सका हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.12 14:57:51 IST
Reason: SelfAttested

नारायणलाल बनाम रतीराम
वाद - 2022/62

अतः उक्त विवेचन व्यक्त करने के आधार पर वादी का वादपत्र विधि के प्रचलित प्रावधानों से साबित पाया जाता है। वकील वादी अपने वाद पत्र को साबित करने में सफल रहे है। इस आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिपक्षी को आराजी खसरा नम्बर 692 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम बिलौना कलां तहसील लालसोट स्थित कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करने व वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी बाबत प्रतिबन्धित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर इजलास की मौजूदगी में खुले इजलास सुनाया गया। मिसल पर्चा जावे हो। पत्रावली फैसल-शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
लालसोट जिला-दौसा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Kumar Meena
Date: 2024.03.12 14:57:51 IST
Reason: SelfAttested